उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या- 06/2018/वे0आ0-2-342/दस-35(एम)/2008
लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु गठित वेतन समिति के कार्यालय एवं अध्यक्ष वेतन समिति के स्टाफ के लिये सृजित16 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल आखिरी बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-21/2017/वे0आ0-2-904/दस-35(एम)2008, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक के लिये बढाया गया।

2- तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दिनांक 28 फरवरी, 2018 से वेतन समिति की समाप्ति के पश्चात समिति की प्राप्त संस्तुतियों के परीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के लिये वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के रूप् में वेतन समिति हेतु सृजित (16 नि:संवर्गीय पद एवं 01 संवर्गीय पद) कुल 17 पदों में से (07 नि:संवर्गीय पद एवं 01 संवर्गीय पद) कुल 08 पदों को समाप्त करते हुए अवशेष निम्न 09 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्र0सं0	**पदनाम**	**पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स**	**पदों की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1-	वरिष्ठ शोध अधिकारी	लेवल-11(रू0 67700-208700)	01
2-	शोध अधिकारी	लेवल-10(रू0 56100-177500)	02
3-	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	लेवल-7(रू0 44900-142400)	04
4-	लेखाकार-कम-कोषाध्य	लेवल-7(रू0 44900-142400)	01
5-	अवर वर्ग सहायक	लेवल-6(रू0 35400-112400)	01
		कुल-	**09**

3- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या- 06/2018/वे0आ0-2-342(1)/दस-35(एम)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

4- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)

5- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से,

के0एल0वर्मा

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।